



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु-560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.:663 का संशोधन सहित नवीकरण/

Amendment cum Renewal of Type Approval Number: 663

विषय / Sub:सिलिकॉन बेस रबड़ कम्पाउंड पॉलिसिल - 5/

SILICON BASE RUBBER COMPOUND POLYSIL - 5

यह घोषित किया जाता है कि विनिर्देश सं. टीवाई-38-005-1166-73, ग्रेड आईआरपी 1338 हेतु मेसर्स पॉलिमर एंटरप्राइज़, ई-41, एम आई डी सी, सतपुर, नासिक- 422 007, द्वारा विकसित तथा उत्पादित "सिलिकॉन बेस रबड़ कम्पाउंड पॉलिसिल - 5" को संदर्भ सं. एरो/आरडी-132/106/3, दिनांक 25 मई 1992, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 663 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-663/5आर, दिनांक 12 जुलाई 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

This is to state that the "SILICON BASE RUBBERCOMPOUND POLYSIL-5", to Specification No.: TY-38-005 -1166-73, Grade IRP 1338 developed and manufactured by M/s Polymer Enterprise, E - 41, M.I.D.C, Satpur - 422 007, Nashik was issued with Type Approval No.: 663, vide Reference No.: AERO/RD-132/106/3, dated: 25th May 1992. It was subsequently renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-663/5R, dated: 12th July 2013, with validity up to 30th June 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अगस्त 2018 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 जुलाई 2023 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (नासिक), सेमिलैक, डीआरडीओ, द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (वायुयान प्रभाग) नासिक - 422 207, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगीं।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st August 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st July 2023 unless otherwise suspend, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nsk), CEMILAC, DRDO, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, (Aircraft Division), Nashik – 422 207 three (03) months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including user's performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. एरो/आरडी -132/106/3, दिनांक 25 मई 1992 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद छः (06) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para six (06) of original Type Approval Certificate vide Reference No.:Aero/RD –132 /106/3, dated: 25th May 1992 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru-560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्रमें अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA – 663/6R

दिनांक / Date : 06 August 2018

फैक्सं. / Fax No: 080 – 2523 0856

HQ HR.

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)